भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1096
गुरुवार, 08 फरवरी, 2024/19 माघ, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

अत्यधिक हवाई किराया

1096. श्रीमती नुसरत जहां:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि निजी विमान कंपनियां अनेक विमान मार्गों पर 50 से 200 प्रतिशत तक बढ़ाकर अत्यधिक हवाई किराया वसूल रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2022 में इसी अवधि के दौरान विमान किराए की तुलना में नवंबर और दिसंबर 2023 में हवाई किराया कितना था;

(ग) क्या सरकार द्वारा विमान किरायों के संबंध में अधिकतम सीमा निर्धारित करने संबंधी कोई तंत्र है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क): प्रचलित विनियम के अनुसार, विमान किराया सरकार द्वारा न तो स्थापित किया जाता है और न ही विनियमित किया जाता है।

एयरलाइनों द्वारा स्थापित विमान किराया गतिशील प्रकृति का होता है और यह मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। किराया कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है जैसे किसी विशेष उड़ान पर पहले से ही बेची गई सीटों की संख्या, मौजूदा ईंधन की कीमत, मार्ग पर चलने वाले विमान की क्षमता, क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, मौसम, छुट्टियां, त्यौहार, लंबी अवधि सप्ताहांत, कार्यक्रम (खेल, मेले, प्रतियोगिताएं) आदि।

वायुयान अधिनियम, 1937 के नियम 135 के उप नियम (1) के प्रावधान के अंतर्गत, अनुसूचित विमान सेवाओं में लगे प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम को प्रचालन की लागत, सेवाओं की विशेषता, उचित लाभ और आम तौर पर प्रचलित टैरिफ सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करना आवश्यक है। उपर्युक्त नियम के अनुपालन के अध्यधीन एयरलाइनें अपनी परिचालन व्यवहार्यता के अनुसार उचित विमान किराया वसूल कर सकते हैं।

(ख): नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा स्थापित टैरिफ निगरानी इकाई (टीएमयू) चयनित मार्गों पर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा स्थापित टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट (टीएमयू) द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 के नवंबर और दिसंबर माह में कुछ मार्गों पर विमान किराए में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण एयर टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में वृद्धि, अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य में कमी और मेसर्स गोफर्स्ट द्वारा परिचालन को निलंबित करना है, जिसके परिणामस्वरूप मांग-आपूर्ति में विसंगति हुई है और परिणामस्वरूप, विमान किराया अधिक हुआ है।

(ग) और (घ): वर्तमान में, विमान किराया सरकार द्वारा न तो स्थापित और न ही विनियमित किया जाता है। मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन के साथ, सरकार द्वारा विमान किराये के अनुमोदन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है।

****